

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 628/10

संस्थापन दिनांक:-31/12/10

फाईलिंग नं. 333/2010

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

राजू पिता सुखदास मोरले,  
उम्र 25 वर्ष, निवासी पुरानी बोड़खी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 03.04.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323, 324 (दो बार), 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 27.12.2010 को रात्रि करीब 10:00 बजे आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल के अंतर्गत राजा मेहरा के मकान के सामने आम रोड बोड़खी में रास्ते पर सूचनाकर्ता अमन पोहाल का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं आहत अमन को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं लखन और प्रदीप को तलवार जैसी किसी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आहत प्रदीप को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2 प्रकरण में अभियुक्त राजा के संबंध में निर्णय पारित किया जाकर उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में अभियुक्त राजू पूर्व में फरार था। तत्पश्चात अभियुक्त राजू की उपस्थिति न्यायालय में होने के उपरांत उसके संबंध में पृथक से विचारण किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 27.12.2010 को रात्रि 10 बजे मजदूरी कर घर वापस आ रहा था। जैसे ही वह राजा मोरले के मकान के सामने गली में पहुंचा तभी अभियुक्त राजा ने गली में आकर उसका रास्ता रोका और मोबाईल चोरी की बात कहकर तलवार जैसी चीज से उसे मारा जो उसके दाहिनी कंधे के नीचे सामने तरफ एवं दोनों पैरों की पिंढली पर चोट लगी। उसके पीछे आ रहे लखन और प्रदीप ने जब बीच बचाव किया तो

अभियुक्तगण ने उनके साथ भी तलवार जैसी चीज से मारपीट की जिससे लखन के दोनों हाथ की कलाई एवं प्रदीप को बांये हाथ की कोहनी एवं बांये पैर की पिंढली पर चाट लगी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 348/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमन पोहाल का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत अमन को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत लखन और प्रदीप को तलवार जैसी किसी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आहत प्रदीप को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02, 03, 04 का निराकरण**

6 अमन (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना लगभग पांच वर्ष पहले की रात्रि के लगभग 09:30 बजे की है। साक्षी ने यह

बताया है कि घटना दिनांक को वह राजा के घर शराब पीने के लिए गया था, वहां पर उससे बहस हो गयी, वहीं पर राजा का भाई अभियुक्त राजू भी था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसकी केवल राजा से बहस हुई थी। अभियुक्त राजू ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। उसके साथ उसके भाई प्रदीप और लखन भी थे। प्रदीप (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना वर्ष 2010 की है। अभियुक्त राजू ने उसके साथ मारपीट की थी। घटना के समय वह और अमन एवं लखन बोड़खी से आमला आ रहे थे तभी अभियुक्त राजू आया और हाथ मुक्के से मारने लगा। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त राजू के साथ राजा भी था जिसने तलवार से मारा था।

7 लखन (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय फरियादी अमन को लेने के लिए नानी के घर आया था जहां उसे पता चला कि अभियुक्त राजू एवं राजा ने अमन एवं प्रदीप को मारा है। उसने मारपीट करते नहीं देखा था। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि जब अमन एवं प्रदीप को अस्पताल लेकर आये थे तब उसने देखा कि अमन के हाथ में और प्रदीप के पैर में चोट थी।

8 लखन (अ.सा.-1), प्रदीप (अ.सा.-2), अमन (अ.सा.-3) से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अमन (अ.सा.-3) ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त राजू ने उसे एवं उसके भाई लखन एवं प्रदीप को तलवार जैसी किसी चीज से मारा था। प्रदीप (अ.सा.-2) ने भी अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त राजू ने तलवार जैसी किसी नुकिली चीज से मारपीट किया था। लखन (अ.सा.-1) ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह घटना के समय फरियादी अमन के पीछे-पीछे जा रहा था तभी अभियुक्त राजू ने रास्ते में रोक लिया था।

9 अमन (अ.सा.-3) एवं प्रदीप (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त राजू से उनका कोई विवाद नहीं हुआ था और अभियुक्त राजू ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। उपर्युक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि उन्होंने पुलिस को बयान देते समय अभियुक्त राजू का नाम नहीं बताया था। साक्षीगण ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि वे अभियुक्त राजू के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

10 प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन के द्वारा किसी अन्य साक्षी को परिक्षीत न कराया जाकर प्रकरण में साक्ष्य समाप्त की गयी है।

11 प्रकरण में फरियादी अमन (अ.सा.-1) एवं आहतगण प्रदीप (अ.सा.-2), लखन (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। किसी भी साक्षीगण ने अभियुक्त राजू के द्वारा मारपीट किया जाना नहीं बताया है और न ही यह बताया है कि अभियुक्त राजू ने उनका रास्ता रोक लिया था और विवाद किया था। इस प्रकार प्रकरण में स्वयं फरियादी एवं आहतगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने एवं परस्पर विरोधाभासी कथन किये जाने से अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण**

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अमन पोहाल का मार्ग अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं आहत अमन को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं लखन और प्रदीप को तलवार जैसी किसी वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आहत प्रदीप को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324 (दो बार), 325 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)